सत्यमेव जयते

सांसद आदर्श ग्राम योजना

SAGY

राष्ट्रीय सिंहावलोकन

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

सांसद आदर्श ग्राम योजना

SAGY

राष्ट्रीय सिंहावलोकन

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

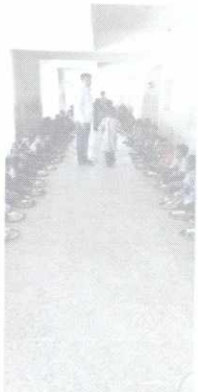

कार्यकारी सारांश

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 11 अक्तूबर, 2014 को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शुरू की गई एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में आदर्श गांवों का निर्माण करना है। योजना के दिशा–निर्देशों में माननीय संसद सदस्यों से उनकी पसंद की एक ग्राम पंचायत को वर्ष 2016 तक आदर्श गांव बनाने तथा वर्ष 2019 तक दो अन्य ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव बनाने के लिए कहा गया है। माननीय संसद सदस्यों ने एसएजीवाई के चरण–I के अंतर्गत देश भर की 703 ग्राम पंचायतों का चयन किया है और एसएजीवाई के चरण–II के अंतर्गत मार्च, 2017 तक अन्य 222 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। ये 'आदर्श गांव' ग्रामीण समुदाय के भीतर 'स्वास्थ्य, साफ–सफाई, हरियाली और सौहार्द के केंद्र' के रूप में काम करते हैं तथा आस–पास की ग्राम पंचायतों को प्रेरित करते हुए स्थानीय विकास और शासन के विद्यालय बन गए हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्रीय प्रायोजित तथा राज्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों में तालमेल बिठाकर कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और इसलिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ग्राम पंचायतें माननीय संसद सदस्यों के मार्गदर्शन में सही माहौल बनाने, सामाजिक एकजुटता, संसाधनों की मैपिंग तथा भागीदारीपरक विकास आयोजना की सुव्यवस्थित प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं। वे संसाधनों में तालमेल के माध्यम से गांव का सर्वांगीण विकास करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त समयबद्ध परियोजनाओं वाली ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं। एसएजीवाई के चरण–I के अंतर्गत 671 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। वीडीपी में सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक ट्रैकिंग टैम्प्लेट तैयार किया गया है और प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। वेबसाइट पर अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2017 की स्थिति तक, बनाई गई 40894 परियोजनाओं में से 15412 (38 प्रतिशत) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 6462 (16 प्रतिशत) परियोजनाएं चल रही हैं।

एसएजीवाई के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा गोद ली गई ग्राम पंचायतों में अन्य के साथ–साथ अनेक पैरामीटरों अर्थात बच्चों के टीकाकरण, जन वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन, विद्युतीकरण और पाइप के जरिए पेयजल की आपूर्ति के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। वेबसाइट पर अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसएजीवाई के अंतर्गत चुने जाने के बाद 304 ग्राम पंचायतें खुले में शौच की स्थिति से मुक्त पंचायतों का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। माननीय संसद सदस्य 330 ग्राम पंचायतों में शत प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित कर पाए हैं। इसी प्रकार, 284 माननीय संसद सदस्यों ने अपनी–अपनी चयनित ग्राम पंचायतों में यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे। इस योजना ने 262 ग्राम पंचायतों में ई–पंचायत सेवाएं शुरू करते हुए ई–शासन की दिशा की ओर काफी अधिक प्रगति भी कर ली है।

एसएजीवाई एक नजर में

* लोक सभा के कुल 544 तथा राज्य सभा के कुल 245 माननीय संसद सदस्य ग्राम पंचायतों का चयन करेंगे ताकि सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 तक इनमें से प्रत्येक का विकास किया जा सके।
* देश भर में चरण–। और चरण–।। के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों ने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 925 एसएजीवाई ग्राम पंचायतों का चयन किया है।
* एसएजीवाई में 8 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
* एसएजीवाई के लिए 54 प्राथमिक कार्यकलापों का सुझाव दिया गया है।
* एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में 40894 विकास परियोजनाएं तैयार की गईं हैं।
* निर्धारित ग्राम पंचायतों में अब तक 15412 (38 प्रतिशत) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं तथा 6462 (16 प्रतिशत) परियोजनाएं चल रही हैं।

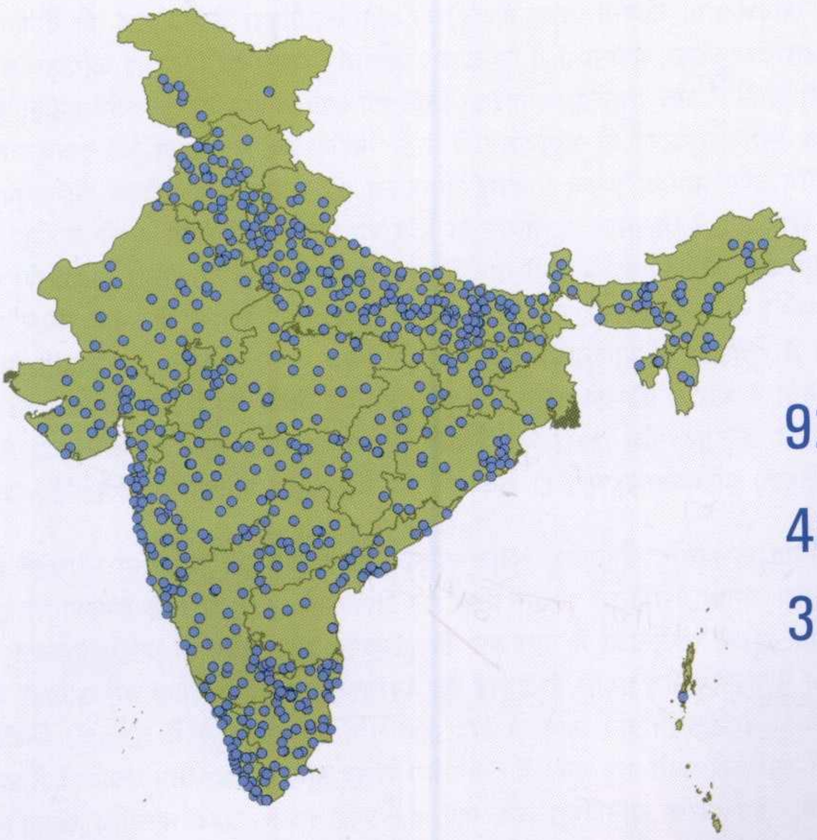

925 ग्राम पंचायतें

489 जिले

36 राज्य/सं.रा.क्षेत्र

देश भर में निर्धारित ग्राम पंचायतों का स्थान

एसएजीवाई: एक अनूठा दृष्टिकोण

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के उद्देश्य

* निर्धारित ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
* स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना।
* उन्नत बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से आबादी के सभी वर्गों के जीवन–स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार लाना।
* ग्राम पंचायतों की सामाजिक और आर्थिक दशा को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों के साथ तालमेल बिठाकर स्थायी अवसंरचना तैयार करना।
* विकास प्रक्रियाओं के लिए दृष्टिकोण में आमूल–चूल परिवर्तन लाने में मदद करना।
* निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में सहायता प्रदान करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रेरित किया जा सके।

जोरांदाझरिया ग्राम पंचायत, छत्तीसगढ़–ओडीएफ बनने पर समारोह

एसएजीवाई का दृष्टिकोण

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित दृष्टिकोण से एसएजीवाई का मार्गदर्शन किया जाएगाः

* आदर्श ग्राम पंचायत विकसित करने में संसद सदस्यों की नेतृत्व क्षमता; प्रतिबद्धता और कार्यकौशल का लाभ उठाना।
* स्थानीय स्तर पर भागीदारीपूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना।
* विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्राइवेट एवं स्वैच्छिक अभिनव पहलों में तालमेल बिठाना ताकि जनता की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
* स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ भागीदारी बढ़ाना।
* परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान।

एसएजीवाई में कार्यकलाप

आदर्श ग्राम में जहां तक संभव हो सके, लोगों की क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जनता का साझा विजन तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें संसद सदस्य, ग्राम पंचायत, सिविल सोसायटी और सरकारी तंत्रों द्वारा पर्याप्त मदद की जाएगी। स्वाभाविक तौर पर, आदर्श ग्राम के घटक संदर्भ विशिष्ट होंगे। तथापि, इसके बावजूद विशिष्ट कार्यकलापों का मोटे तौर पर निर्धारण कर पाना इसके बावजूद विशिष्ट संभव है जो कि चित्रः 1 में दर्शाए गए कार्यकलापों में शामिल होंगे।

कार्यनीति

निर्धारित किए गए गांव को विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के माध्यम से आदर्श गांव में बदलने के लिए, निम्नलिखित संभावित कार्यनीतियां अपनाई जाएंगीः

* सकारात्मक साझा कार्रवाई के प्रति समुदाय को एकजुट एवं प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप।
* लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए समेकित तरीके से भागीदारीपूर्ण आयोजना कार्य।
* जहां तक संभव हो केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और साथ ही राज्यों की अन्य योजनाओं से प्राप्त संसाधनों में तालमेल।
* यथासंभव मौजूदा अवसंरचना की मरम्मत तथा उनका पुनरुद्धार।
* ग्राम पंचायतों और इसके अंतर्गत पड़ने वाली जनता की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।
* पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

चित्र 1: सांकेतिक कार्यकलाप

आयोजन प्रक्रिया

निर्धारित की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। औपचारिक योजना की तैयारी शुरू होने से पहले, व्यवस्थित माहौल तैयार करने और सामाजिक जागरूकता की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी अगुवाई संसद सदस्य खुद करेंगे। इस कार्य में ग्राम पंचायत की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए। निम्नलिखित प्रमुख चरणों के साथ आयोजना प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है:

10 प्रकटीकरण और प्रचार–प्रसार

09 परियोजनाकरण और स्वीकृतियां

08 वीडीपी को स्वीकृति

07 ग्राम सभा द्वारा वीडीपी को मंजूरी

06 ग्राम विकास योजना (वीडीपी) का प्रारूप तैयार करना

05 आवश्यकताओं का निर्धारण

04 संसाधनों का निर्धारण

03 कार्यनीति बनाना

02 पहले चरण के निष्पादन की समीक्षा

01 स्थिति का विश्लेषण

हाहप ग्राम पंचायत, झारखंड में भागीदारीपूर्ण आयोजना कार्य

कोहला ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश में वीडीपी के लिए कार्यकलापों को अंतिम रूप देने का कार्य

मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

मंत्रालय ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं।

एसएजीवाई के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन और केंद्रीय योजनाओं को प्राथमिकता

एसएजीवाई का कार्यान्वयन मोटे तौर पर मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तालमेल पर निर्भर करता है। इस तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों की निम्नलिखित 21 योजनाएं संशोधित की गई हैं। संबंधित योजनाओं में एसएजीवाई को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त एडवाइजरी जारी की जा चुकी है।

क्र.स.	मंत्रालय का नाम	योजना का नाम
01	ग्रामीण विकास	1. प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण 2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), 3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
02	भूमि संसाधन	4. समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)
03	एमएसएमई	5. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 6. पारंपरिक उद्योगों के पुनरूत्थान के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई)
04	पेयजल	7. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
05	ऊर्जा	8. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
06	एमएनआरई	9. केंद्रीय वित्तीय सहायता
07	युवा कार्य	10. एनएसएस, एनवाईके, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान 11. राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम
08	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	12. लक्षित पी.डी.एस.
09	पंचायती राज	13. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान
10	उपभोक्ता मामले	14. उपभोक्ता जागरूकता
11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
12	जल संसाधन	16. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार (आर.आर.आर.)
13	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	17. मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.) –एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में स्थित विद्यालयों में एमडीएम का निष्पादन, विद्यालयों में भर्ती सुनिश्चित करना, खाद्यान्न, किचन शैड, बर्तन, प्लेट, जल की उपलब्धता तथा विद्यालयों में हाथ धोने की सुविधा, रसोइया और परिचारकों को नियमित भुगतान इत्यादि।
14	महिला एवं बाल विकास	18. आईसीडीएस 19. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 20. किशोरी शक्ति योजना
15	वस्त्र मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्रालय	21. वस्त्रातन – टेक्सटाइल टूरिज्म वस्त्र को पर्यटन से जोड़ना (पारंपरिक हथकरघा बुनकरों को बढ़ावा देना तथा दस्तकारी गांवों को पर्यटन स्थलों के रूप में प्रोत्साहित करना, दस्तकारी गांव का विकास)

एसएजीवाई के लिए समेकित संसाधन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के लाभ के लिए 'समन्वय' प्रकाशित कराया है जिसमें गांवों के विकास के लिए चलाई जा रही 223 केंद्रीय, केंद्रीय प्रायोजित और 1806 राज्य योजनाएं संकलित हैं। यह दस्तावेज ग्राम पंचायत के स्तर पर बहुउद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं के बारे में विशेष रूप से संसद सदस्यों, जिला एवं ग्राम स्तरीय अधिकारियों के लिए रेडी रेकनर के रूप में कार्य करता है।

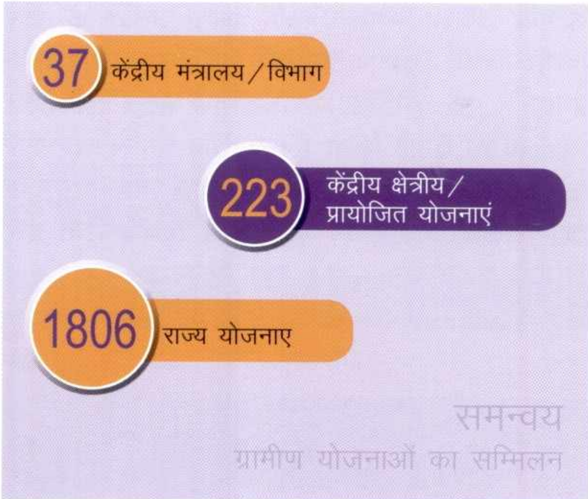

सभी एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में चार मुख्य आधारभूत सेवाओं अर्थात् बिजली, पेयजल, सड़क और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय कर रहा है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत शामिल की गई ग्राम पंचायतों के साथ चरण-। के अंतर्गत निर्धारित की गई 703 ग्राम पंचायतों की मैपिंग की है।

सैचुरेशन दृष्टिकोण

संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, मैपिंग की गई एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में से शत-प्रतिशत सैचुरेशन प्राप्त करने वाली एसएजीवाई ग्राम पंचायतों की संख्या के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है।

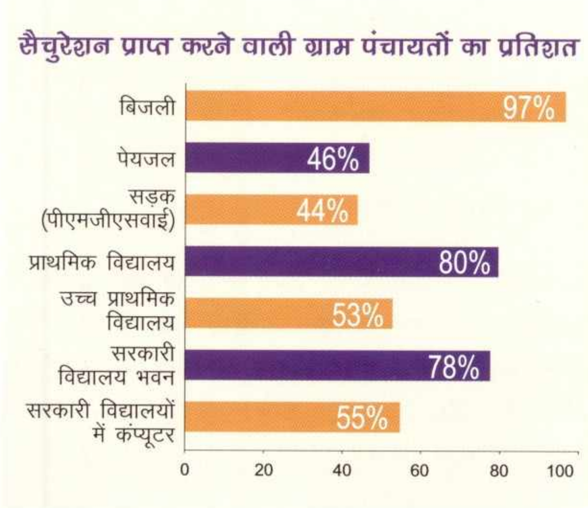

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छे कार्यों पर जानकारी साझा करना

प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना तथा नवीन पहलू को शुरू करना इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भोपाल में 23-24 सितम्बर, 2015 को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अच्छे कार्यों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें भाग लेने के लिए संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, सभी राज्यों के ग्राम प्रधानों को आमंत्रित किया गया था। दो दिवसीय व्यापक प्रदर्शनी के माध्यम से चुनिंदा अच्छे कार्यों की प्रस्तुति की गई थी ताकि एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के अच्छे कार्यों को अपनाया जा सके। साथ ही, सर्वोत्तम कार्यों का सारांश सहभागियों के साथ साझा किया गया।

इसके साथ ही, माननीय संसद सदस्यों ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार, सिविल सोसाइटी, सीएसआर और संबंधित समुदायों के साथ–साथ अनेक विकासवादी भागीदारों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग के माध्यम से अपनी संबंधित एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में अपनी ओर से पहल की और विभिन्न अभिनव कार्यों और परियोजनाओं की अगुवाई की। एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में 101 अभिनव पहलों के संकलन वाली एक पुस्तिका 'संकलन' नाम से जारी की गई है।

साझा वित्तीय सुरक्षा योजनाएं

अंतर को दूर करने के लिए एसएजीवाई प्रभाग ने संबंधित मंत्रालयों अर्थात वित्तीय सेवा विभाग (गृह मंत्रालय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डाक विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के बारे में अनिवार्य जानकारी एकत्र करके 'सहयोग' नामक दस्तावेज तैयार किया है। 'सहयोग' का उद्देश्य ग्रामवासियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी देने और उनमें नामांकित होने तथा वहन योग्य बीमा कवरेज प्राप्त करने में मदद करना है।

इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्मयुक्त आनॅलाइन सपोर्ट पोर्टल

स्टेकहोल्डरों यथा – संसद सदस्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आम जनता के साथ विचार–विमर्श को बढ़ावा देने के लिए एसएजीवाई प्रभाग ने एक क्लाउड आधारित वेब पोर्टल (support.saanjhi.in) तैयार किया है। यह वेब पोर्टल जानकारी को साझा करने वाले एक प्रगतिशील सार–संग्रह के रूप में और कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा विचारों के आदान–प्रदान तथा शिकायत निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है।

सुंदरिया ग्राम पंचायत, ओडिशा में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण

नेरनुर ग्राम पंचायत, आंध्र प्रदेश में गांव का प्रवेश मार्ग

अब तक कार्यान्वयन

निर्धारण

ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000–5000 और पर्वतीय, जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्रों में 1000–3000 होगी। जिन जिलों में इतनी आबादी वाली इकाई उपलब्ध न हो, उनमें वांछनीय आबादी के लगभग बराबर आबादी वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जा सकता है। संसद सदस्य स्वयं अपने या अपने/अपनी पति/पत्नी के गांव को छोड़कर किसी भी अन्य उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण आदर्श गांव के रूप में विकास के लिए कर सकता है।

लोक सभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत का चयन करना होता है और राज्य सभा संसद सदस्य का जिस राज्य से निर्वाचन हुआ हो, उसे उस राज्य के अपने पसंदीदा जिले के ग्रामीण क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। नामित संसद सदस्य देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। शहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं हैं) से निर्वाचित संसद सदस्य निकटवर्ती ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे।

एसएजीवाई वेबसाइट (www.saanjhi.gov.in) पर 27 मार्च, 2017 तक अपलोड किए गए आकड़ों के अनुसार, माननीय संसद सदस्यों द्वारा चरण–1 और 2 के अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतों की संख्या आगे तालिका में दर्शाई गई है

चरण	सदन	चयनित की गई ग्राम पंचायतें	लंबित
चरण – 1	लोक सभा	500	43
	राज्य सभा	203	50
	कुल	**703**	**93**

चरण	सदन	चयनित की गई ग्राम पंचायतें	लंबित
चरण – 2	लोक सभा	173	371
	राज्य सभा	49	196
	कुल	**222**	**567**

जागरूकता बढ़ाना, माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता

एसएजीवाई के अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतों में जनभागीदारी की सहायता से जागरुकता शिविरों, जागरुकता कार्यकलापों और सामाजिक एकजुटता अभियान चलाए गए हैं। उपर्युक्त कार्य के दौरान संसद सदस्यों ने अपनी निर्धारित की हुई एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के दौरे किए हैं। ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभाओं के साथ चर्चा जैसे विभिन्न कार्यकलाप किए गए। संसद सदस्यों ने युवा क्लबों सहित व्यवसायी समूहों और स्थानीय संगठनों के साथ भी विचार–विमर्श किया। गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय में सांस्कृतिक, खेलकूद कार्यकलापों, पदयात्राओं, नुक्कड़ नाटकों, श्रमदान, सामूहिक संकल्पों और चित्रकला एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में किया गया।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कडमहा ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में खुशालीपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन

प्रमुख स्टेकहोल्डरों का प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण और क्षमता विकास।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समर्पित और ज्ञानवान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों का उपयुक्त क्षमता विकास किया जाना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक विशेष प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण और क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है;

क. राज्य प्रशिक्षक टीम (एसटीओटी) के लिए एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम

ख. इन एसटीओटी के सदस्यों ने अपने–अपने राज्यों के संसद सदस्यों और जिला कलक्टरों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाए हैं।

ग. जिला कलक्टरों/जिलाधीशों को मल्टीपल वीडियो कॉफ्रेंसों के माध्यम से एसएजीवाई की आधारभूत जानकारी दी गई।

एसआईआरडी, लखनऊ में प्रभार अधिकारियों और एसटीओटी का प्रशिक्षण

व्यापक क्षमता विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरे भारत में 8 स्थानों पर एसएजीवाई के संबंधित क्षेत्रों में भागीदारीपूर्ण आयोजना के माध्यम से ग्राम विकास योजना की तैयारी के विषय में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रालय ने 653 प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

नियमित राज्य समीक्षा

माननीय संसद सदस्यों, जिला कलक्टरों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय स्थानों पर आयोजित बैठकों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। अब तक 18 राज्यों के संबंध में समीक्षाओं का आयोजन किया गया। संपन्न हो चुकी इन समीक्षा बैठकों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र.स.	समीक्षा में शामिल राज्यों के नाम	समीक्षा की तारीख
1	हरियाणा	01 अप्रैल, 2015
2	पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा)	10 जून 2015
3	छत्तीसगढ़	23 जून 2015
4	महाराष्ट्र और गोवा	07 जुलाई, 2015
5	मध्य प्रदेश	24 सितंबर, 2015
6	उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़	07 जनवरी, 2016

उपलब्धियां

जोरांदाझरिया ग्राम पंचायत

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जोरांदाझरिया नामक ग्राम पंचायत दूरदराज के क्षेत्र में स्थित इस गांव में अधिकांशतः जनजातीय आबादी रहती है। राज्य सभा से माननीय संसद सदस्य श्री नंद कुमार साय ने न केवल इस गांव का चयन किया है बल्कि एसएजीवाई की शुरूआत से ही इसके चहुमुखी विकास कार्यों का मार्गदर्शन भी किया है।

माननीय संसद सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस गांव के अनेक दौरे किए हैं। ग्राम विकास योजना के अंतर्गत संपन्न किए गए/चलाए जा रहे विकास कार्यों से ग्राम वासियों के जीवन में काफी उन्नति आई है। ग्राम विकास योजना के कार्यकलापों के अलावा ग्राम पंचायत ने माननीय संसद सदस्य, जिला प्रशासन के अधिकारियों और जोरांदाझरिया के स्थानीय समुदाय के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप व्यवहार में बदलाव के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य किया है। नशामुक्त पंचायत, खुले में शौच से शत–प्रतिशत मुक्त पंचायत के रूप में जोरांदाझरिया आस–पास के गांव के लिए अनुकरणीय आदर्श बन गई है और उन गांवों ने भी इस ग्राम पंचायत के सर्वोत्तम कार्यों का अनुकरण शुरू कर दिया है। अब इस पंचायत को 'पिंक जोरांद' कहा जाता है, जिसका अर्थ स्वस्थ पंचायत है। ग्राम पंचायत ने गांव की समग्र स्वच्छता के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पौध रोपण, श्रमदान इत्यादि जैसे अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं।

स्वसहायता समूह और महिला समूह इस गांव के समग्र विकास में अहम योगदान कर रहे हैं। व्यवसाय संबंधी परामर्श, बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण, योग कक्षाओं इत्यादि जैसी विशेष पहलें प्रशंसनीय हैं और इन पहलों से जोरांदझाडिया को आदर्श गांव बनाने में अहम योगदान प्राप्त हुआ है।

बलपा ग्राम पंचायत

माननीय संसद सदस्य श्री नलिन कुमार कटील ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नण जिले की बलपा ग्राम पंचायत का चयन इस गांव के समग्र विकास के उद्देश्य से किया है। माननीय संसद सदस्य ने जिला कलक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों के अध्यक्षों जैसे जिलाधिकारियों के साथ अनेक बैठकों का आयोजन किया। माननीय संसद सदस्य के मार्गदर्शन में इस ग्राम पंचायत ने व्यापक एवं प्रशंसनीय विकास कार्य किए हैं।

माननीय संसद सदस्य ने विकास के लिए सिंडिकेट बैंक, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र, श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना और श्रीनिवास संस्था समूह से निधियां जुटाई हैं।

इस गांव में बैंक शाखा और एक एटीएम खोलने के लिए सिंडिकेट बैंक आगे आया। गांव में 20 लाख रु. की लागत से सामुदायिक सभागार के निर्माण की पहल मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ने की है। एक ही भवन में सभी सरकारी कार्यालयों को स्थान देने के लिए लघु विधान सौंध जैसे भवन के निर्माण के लिए मंगलौर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (एमएसईजेडएल) ने सहायता प्रदान की। श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना नामक गैर–सरकारी संगठन ने 60 व्यक्तियों के लाभार्थ गांव में दो नशा मुक्ति शिविर चलाए हैं। सिंडिकेट बैंक ने गांव में 35 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए सहायता प्रदान की।

विभिन्न 'वित्तीय साक्षरता' कार्यक्रम चलाए गए हैं और एलआईसी ने बलपा ग्राम पंचायत को पूर्णतः बीमित गांव घोषित किया है।

ग्राम विकास योजना

एसएजीवाई के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार की जिनमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने पर विशेष जोर देते हुए संसाधनों के तालमेल के माध्यम से गांव की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त एवं समयबद्ध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा के सहयोग से बहुत व्यवस्थित तरीके से विकास दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक ग्राम विकास योजनाएं तैयार की हैं। एसएजीवाई के कार्यान्वयन की प्रगति काफी उत्साहजनक रही है, जिसका पता इसी बात से चलता है कि अब तक 671 ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम विकास योजना (वीडीपी) एसएजीवाई पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

वीडीपी में सूचीबद्ध परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के उद्देश्य से निगरानी टेम्प्लेट तैयार किया गया है और प्रगति की ऑनलाइन निगरानी की जाती है। वेबसाइट में अपडेट किए गए आकड़ों के अनुसार (27 मार्च, 2017 तक), 8 क्षेत्रों में 40894 योजनाबद्ध परियोजनाओं में से निर्धारित ग्राम पंचायतों में अब तक 15412 (38 प्रतिशत) परियोजनाएं संपन्न हो गई हैं और 6462 (16 प्रतिशत) परियोजनाएं चल रही हैं।

पंचायत दर्पण

मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए 35 सूत्री प्रभाव निगरानी साधन तैयार किया है। जैसा कि पंचायत दर्पण नाम से ही स्पष्ट है यह साधन विभिन्न विकास संकेतकों के अनुसार पंचायत की आधारभूत रूप–रेखा का सार प्रस्तुत करता है। बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ई–शासन जैसे मुख्य परिणाम संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। प्रभाव का आकलन तिमाही (22 संकेतकों), छमाही (7 संकेतकों) और वार्षिक (6 संकेतकों) के आधार पर किया जाता है। विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य की प्रगति ग्राम पंचायत पोर्टल पर दर्शाई और अपडेट की जाएगी।

वीडीपी के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की क्षेत्र-वार स्थिति

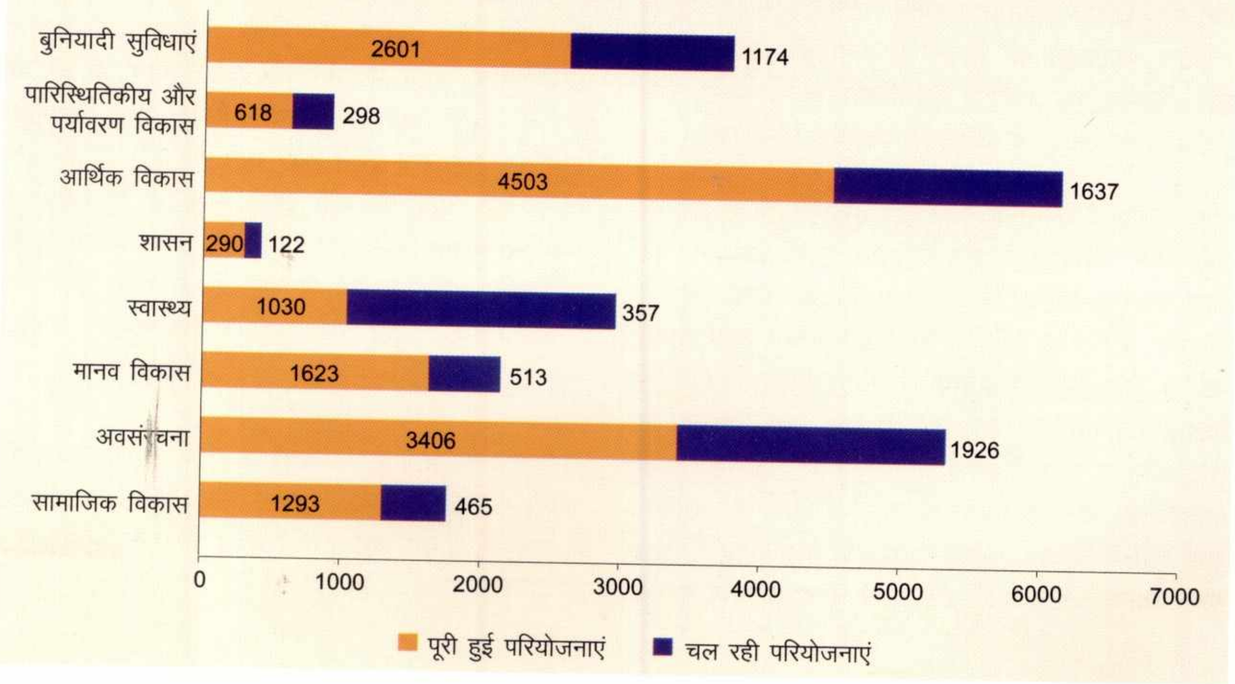

एसएजीवाई के कार्यान्वयन के प्रभाव का पंचायत दर्पण के माध्यम से मापन

चरण–। के अंतर्गत निर्धारित की गई 649 ग्राम पंचायतों द्वारा एसएजीवाई वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर पंचायत दर्पण तिमाही संकेतकों से संबंधित बेसलाइन की तुलना में शत प्रतिशत सेचुरेशन और विकास का प्रतिशत सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है।

एसएजीवाई के कार्यान्वयन के बाद इस योजना के अंतर्गत 330 ग्राम पंचायतों में शत–प्रतिशत बच्चों (06 वर्ष की आयु तक के) का प्रतिरक्षण किया है, 284 ग्राम पंचायतों से प्राप्त रिपोर्टों में कुपोषित बच्चों की संख्या शून्य दर्शाई गई है, 445 ग्राम पंचायतों में शत–प्रतिशत स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, 300 ग्राम पंचायतों ने शत–प्रतिशत आईसीडीएस सेवाएं प्रदान की हैं। इसी प्रकार 189 ग्राम पंचायतों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, 103 ग्राम पंचायतों में एसएजीवाई गांवों में सभी परिवारों को सुरक्षित एवं संरक्षित आवास उपलब्ध कराई गई है, 102 ग्राम पंचायतों में पाइपों द्वारा पेयजल आपूर्ति कराई गई है।

इसी प्रकार 304 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई हैं, 262 ग्राम पंचायतों में अब ग्राम पंचायत कार्यालय में ई–पंचायत सेवा उपलब्ध है। इसी प्रकार अनेक ग्राम पंचायतों ने प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जनधन योजना (114 ग्राम पंचायतें), विधवा पेंशन (248 ग्राम पंचायतें), वृद्धावस्था पेंशन (247 ग्राम पंचायतें), विकलांगता पेंशन (280 ग्राम पंचायतें) जैसी सरकारी योजनाओं में नामांकित करके अपने यहां सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में कई प्रयास किए हैं। उक्त आकड़ों का क्षेत्र–वार आरेखीय प्रस्तुतिकरण आगे दर्शाया गया है।

पंचायत दर्पण तिमाही संकेतकों के संबंध में बेस लाइन की तुलना में शत–प्रतिशत सेचुरेशन और विकास के प्रतिशत के संबंध में ग्राम पंचायतों की संख्या के संबंध में विश्लेषण के परिणाम चित्रों में दर्शाए गए हैं।

अवसंरचना विकास

सभी सरकारें समस्त गांवों में बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों में एक समान विकास नहीं हुआ है। एसएजीवाई के अंतर्गत चयनित अनेक ग्राम पंचायतों में माननीय संसद सदस्यों ने गहरी रुचि लेते हुए यह सुनिश्चित किया है कि राज्य/केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाए। जिन कुछ क्षेत्रों में सेचुरेशन मॉडल के आधार पर अधिक जोर दिया जा रहा है, उनमें सुरक्षित पेयजल, गांव के भीतर और विभिन्न गांवों के बीच सड़क संपर्क और बिजली उपलब्ध कराना शामिल है। सामुदायिक अवसंरचना के अतिरिक्त एसएजीवाई गांव में व्यक्तिगत आवास और सभी परिवारों को 100 प्रतिशत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।

आईएचएचएल पाने वाले पात्र परिवारों का प्रतिशत

शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.

128

विकास का प्रतिशत

16.04

सुरक्षित और संरक्षित आवास सुविधा पाने वाले परिवारों का प्रतिशत

शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.

103

विकास का प्रतिशत

11.74

पाइपों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुविधा पाने वाले परिवारों का प्रशित

शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.

102

विकास का प्रतिशत

10.45

गांव में निर्मित आंतरिक सड़कों (खडंजे और कंक्रीट वाली) का प्रतिशत

शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.

51

विकास का प्रतिशत

13.57

बिजली सुविधा पाने वाले परिवारों का प्रतिशत

शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.

189

विकास का प्रतिशत

9.79

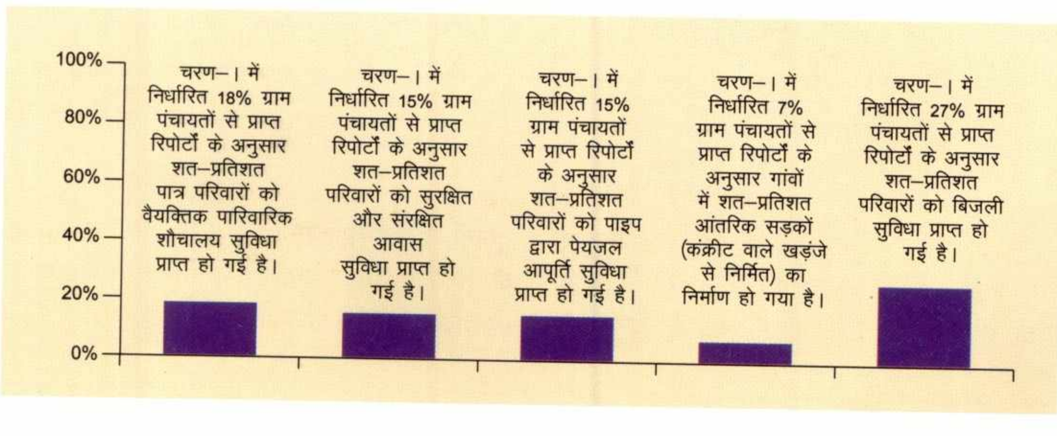

स्वास्थ्य विकास क्षेत्र

किसी समुदाय के सामाजिक–आर्थिक विकास का आधार स्वस्थ जनसमुदाय होता है। प्रतिरक्षण और पोषण जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की कार्यनीति तैयार करना और सेवाएं उपलब्ध कराना कार्यकलापों का एक प्रमुख क्षेत्र है। विशेषकर प्रतिरक्षण और नियमित आईसीडीएस सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में ग्राम पंचायत सेचुरेशन मॉडल के रूप में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस विषय में सुधार स्पष्ट है और आगे दर्शाया गया है:

प्रतिरक्षित बच्चों (06 वर्ष की आयु तक) का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	330	12.22

गांव में कुपोषित बच्चों (श्रेणी–IV और श्रेणी –III) का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	284	1.19

आईसीडीएस सेवाएं पाने वाले बच्चों (06 वर्ष की आयु तक) का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
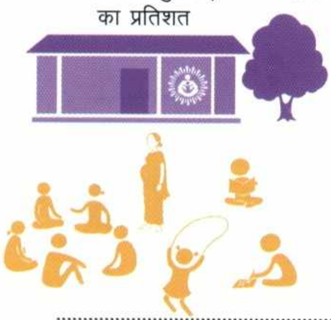	300	12.69

स्कूलों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) पाने वाले बच्चों का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	445	6.75

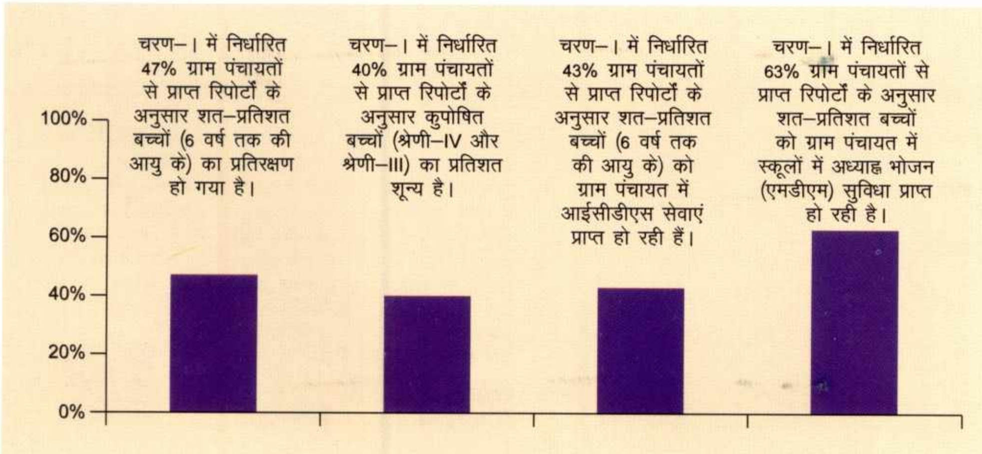

सामाजिक सुरक्षा विकास

एसएजीवाई के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है, उनमें पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शत–प्रतिशत लाभ उपलब्ध कराना शामिल है। माननीय संसद सदस्यों की निरंतर निगरानी से पंचायती राज संस्थाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि पात्र लाभार्थियों को लाभ और समय पर भुगतान प्राप्त हों। ग्राम पंचायतों के सेचुरेशन मॉडल से भी उपर्युक्त के अनुपालन को बढ़ावा मिल रहा है।

	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र	43	13.15
प्रधान मंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	114	18.92
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत (Atal Pension Yojana)	32	7.2
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत शामिल पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	26	10.63
आरएसबीवाई के अंतर्गत शामिल पात्र परिवारों का प्रतिशत	39	10.44
विधवा पेंशन पाने वाली पात्र महिलाओं का प्रतिशत	248	14.03
वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	247	13.31
विकलांगता पेंशन पाने वाले पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	280	15.81

आर्थिक विकास

अधिकांश गावों में आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि कार्यकलापों में सहायक सिंचाई, गोदाम और बाजार की उपलब्धता जैसी अवसंरचना तैयार करना आवश्यक है। इसी के साथ आजीविका के स्रोतों में विविधता लाने, ग्रामीण उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर भी जोर देना जरूरी है। एसएजीवाई में केंद्रीकृत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अवसंरचना विकास के साथ अच्छा तालमेल स्थापित हुआ है, जिससे कृषि कार्यों में अच्छी पद्धतियां शुरू हुई हैं, स्व–सहायता समूहों का गठन हुआ है और आमदनी बढ़ाने के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। कुछ प्रमुख संकेतों से जुड़े कार्यकलापों में वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है:

स्व–सहायता समूहों में शामिल की गई महिलाओं का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	93	14.61

मृदा गुणवत्ता कार्ड पाने वाले किसानों का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	107	17.74

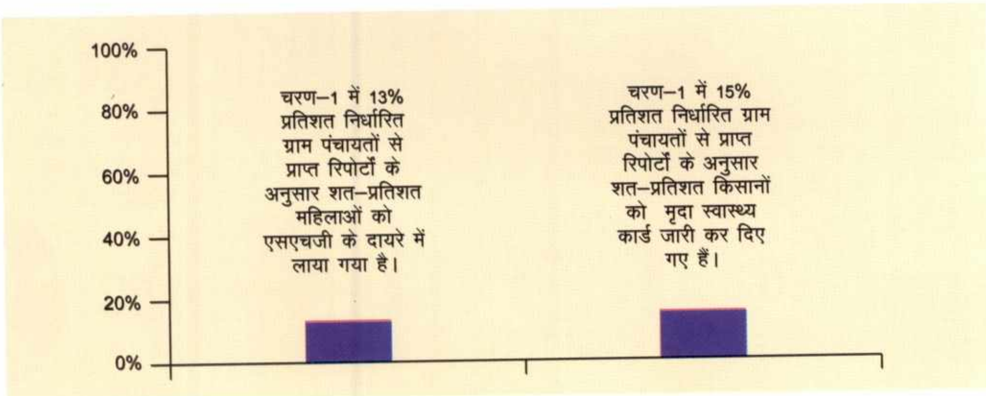

सु–शासन

माननीय संसद सदस्यों द्वारा एसएजीवाई गांवों की निरंतर निगरानी और समीक्षा के परिणामस्वरूप अधिक सक्रिय शासन, वित्तीय और सामाजिक समावेशन सहित सेवाओं की बेहतर प्रदायगी और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। निरंतर विकास और विशिष्ट परिणामों पर जोर दिया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान पाने वाले पात्र परिवारों का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	257	9.75

आधार के अंतर्गत नामांकित पात्र व्यक्तियों का प्रतिशत	शत–प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों की सं.	विकास का प्रतिशत
	91	16.89

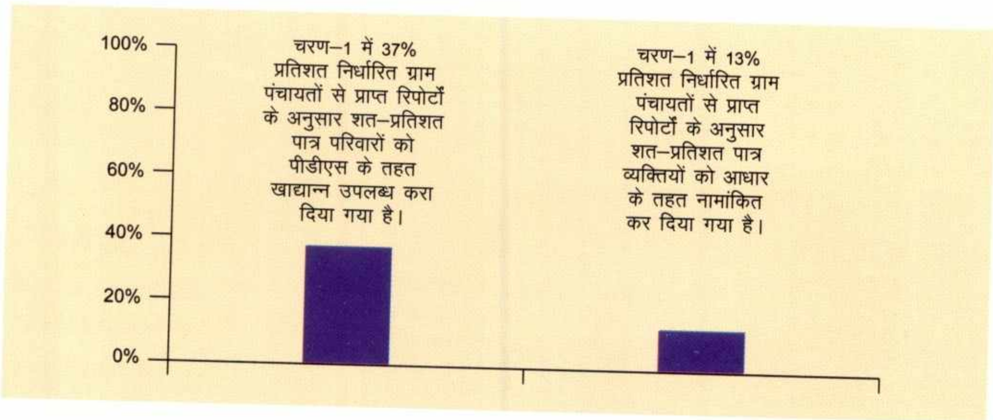

ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रकाशन

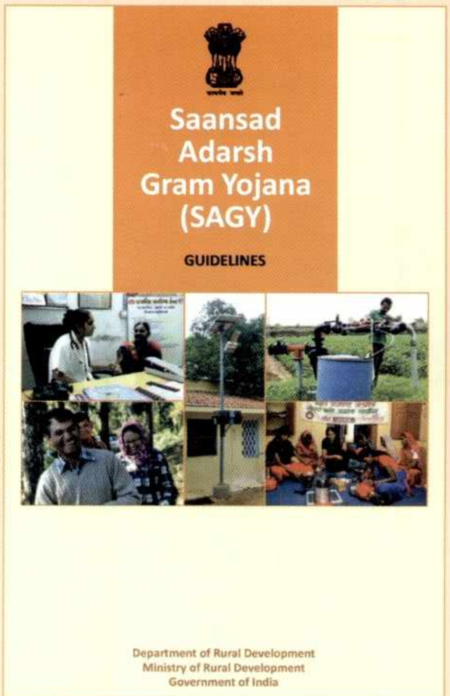

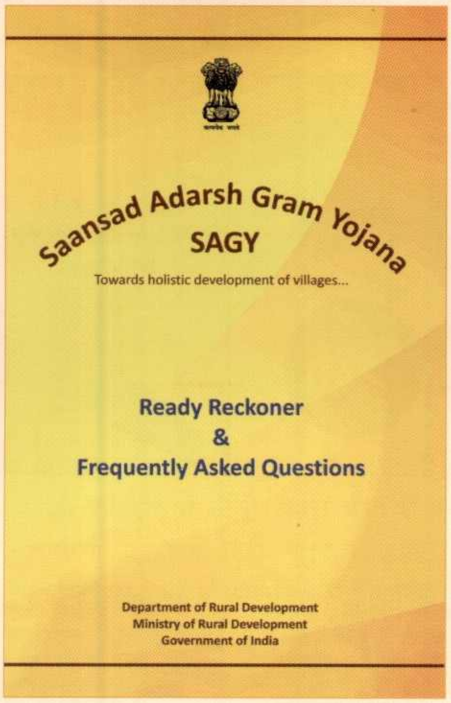

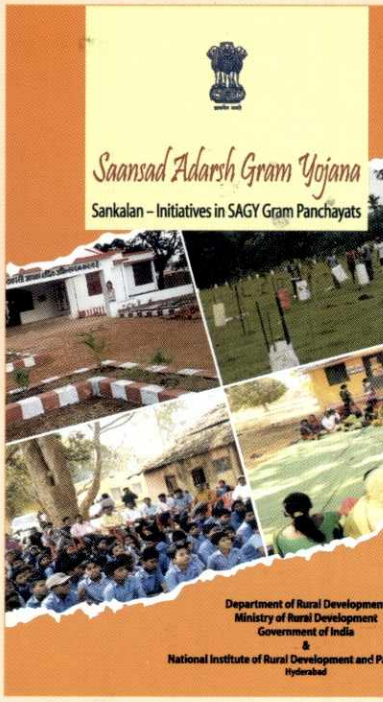

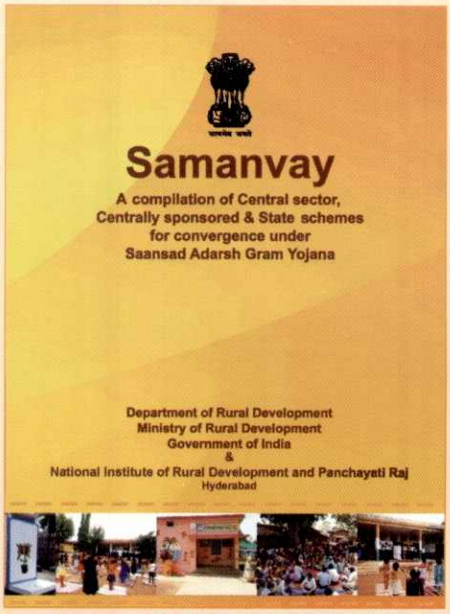

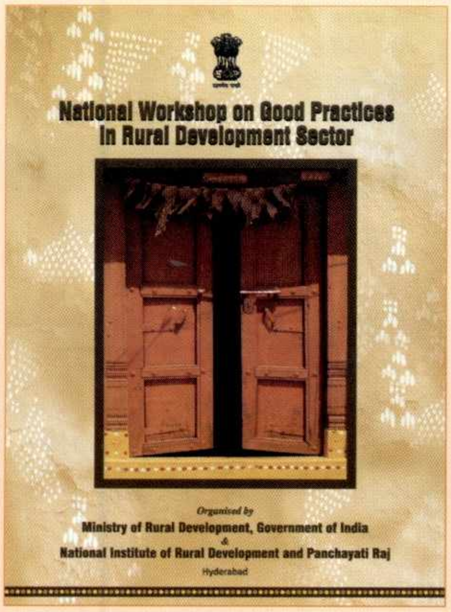

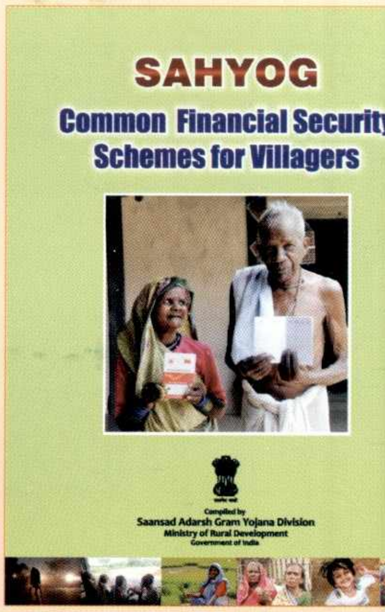

15 Ministries

National Rural Drinking Water Programme

PDS

Nehru Yuva Kendra

National Rural Livelihood Mission

Integrated Watershed Management Programme

21 Schemes

National Rural Health Mission

Indira Awas Yojana

Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries

SFURTI

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

PMEGP

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

http://www.saanjhi.gov.in
support@saanjhi.in